



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं. 17-2/2023(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 02/03/2024

अधिसूचना - 1373

अनुभवी स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट को वेद संबद्ध रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु वार्षिक रूप से संबद्धता हेतु ONLINE आवेदन- (प्रतिष्ठान द्वारा संस्था को कोई भी अनुदान, किराया, भवन व्यय आदि देय नहीं होगा /मानदेय देय नहीं होगा। सेल्फ फैनान्स रूप में ही संचालित करना होगा)

- (अ) देश के विभिन्न राज्यों के सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एन.आई.ओ.एस./राज्य शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी सरकारी बोर्ड के स्कूलों/विद्यालयों में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (समकक्ष वेदभूषण-4 उत्तीर्ण/संस्कृत प्रथमा उत्तीर्ण) एवं अध्ययनरत अथवा 9वीं कक्षा में अध्ययनरत/ 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का अनुभव प्राप्त / 9वीं कक्षा उत्तीर्ण / प्रत्येक क्षेत्र में उस विषय का सामान्य ज्ञान, पठन एवं लेखन ज्ञान सहित क्षेत्र में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव एवं छात्र की आयु 15 वर्ष अथवा अधिक (15 वर्ष निर्णय हेतु सरकारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, अन्य कोई भी प्रमाण नहीं होगा), को उन के इच्छा के अनुरूप वेदों से संबद्ध विषयों में जैसे; (पुरोहित, वास्तु-शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, वैदिक-गणित, वैदिक-संस्कार, मन्दिर-प्रबन्धन, वेद-शास्त्र-प्रवचन, स्मार्त-यज्ञ, श्रौत-यज्ञ, योग-प्रशिक्षण, आयुर्वेद एवं वनौषधि) के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम सञ्चालित करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद्/National Council for Vocational Educational and Training (NCVET) द्वारा कौशल-विकास एवं उद्यमिता कौशल अन्तर्गत 2.5 स्तर (9वीं स्तर) का प्रशिक्षण एवं उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने की स्वीकृति प्रतिष्ठान को प्रदान की गई है। प्रतिष्ठान द्वारा सञ्चालित किए जाने वाले कौशल पाठ्यक्रम को महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से भी मान्यता प्राप्त है। लिखित परीक्षा, प्रायोगिक कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रतिष्ठान द्वारा कौशल अन्तर्गत 2.5 स्तर (9वीं स्तर) प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- (आ) जो व्यक्ति समाज में पूजा, पौरोहित्य, पूजा-अर्चना, यज्ञ अथवा मंदिरों में पूजा कैंकर्य करते हैं, इस हेतु कोई 5 (पांच) वर्ष अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे जिन की आयु 1-1-2024 को 15 वर्ष से अधिक है (15 वर्ष निर्णय हेतु सरकारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, अन्य कोई भी प्रमाण नहीं होगा), वे भी किसी संबद्धता प्राप्त करनेवाली संस्था के अधीन प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगे, वेद, पौरोहित्य, पूजा-अर्चना, यज्ञ, वैदिक-संस्कार, मन्दिर-प्रबन्धन, वेद-शास्त्र-प्रवचन, ज्योतिष, वास्तु में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, लेखन एवं प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन को कौशल विकास योजना के अन्तर्गत 2.5 स्तर का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- (इ) परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में सफल होने पर प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

अनुभवी स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट की आवश्यक अनिवार्य योग्यता- नियम

1. सोसाईटी एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अन्तर्गत रजिस्टर्ड स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट एवं आवेदन दिनांक पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया गया हो। नीति आयोग का दर्पण पोर्टल संख्या अनिवार्य है। संस्था का PAN एवं ट्रस्टियों का आधार उल्लेख करना होगा।
2. सरकारी नियमानुसार FCRA/CSR गतिविधि के लिए अनुमति होने पर प्रतिष्ठान की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु आवेदन में FCRA/CSR संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है।
3. संस्थाएं किसी भी आर्थिक कदाचार (under IT Act etc.) एवं अन्य आपराधिक गतिविधि में लिप्त न हों।

Page 1 of 4

4. भारत के विविध राज्यों में रजिस्टर्ड स्वैच्छिक संगठनों/सोसाइटी/ट्रस्ट के लिए ही मान्य है। भारत से बाहर (विदेश में रजिस्टर्ड) की संस्थाओं के लिए स्वीकृति नहीं है। उन पर विचार नहीं होगा।
5. वेद, पौरोहित्य, पूजा अर्चना, यज्ञ, वैदिक-संस्कार आदि वैदिक परम्परा में अटूट विश्वास रखने वाले, वैदिक शिक्षा में आस्था एवं सनातन धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों/सोसाइटी/ट्रस्ट ही आवेदन कर सकेंगे।
6. वैदिक परम्परा में विश्वास नहीं रखने वाली व्यक्ति के द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए इस पाठ्यक्रम में स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
7. (अ) पिछले तीन वर्षों से अथवा उस से अधिक वेद, पौरोहित्य, पूजा-अर्चना, यज्ञ, वैदिक-संस्कार, मन्दिर-प्रबन्धन, वेद-शास्त्र-प्रवचन, ज्योतिष, वास्तु, योग विषयों में सफल एवं परिणामकारी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हों, तथा इन उद्देश्यों हेतु संस्थापित संस्थाएं ही उन के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों के हस्ताक्षर से आवेदन कर सकेंगी। अथवा (आ) वेद, पौरोहित्य, पूजा-अर्चना, मंदिर, पूजा, पुरोहितों के हितों की योजनाएं, ज्योतिष, वास्तु के क्षेत्र में तीन अथवा अधिक वर्षों से कार्य कर रही संस्थाएं तीन अथवा अधिक वर्षों का कार्य अनुभव पर नोटरैस्ड अफिडेविट प्रस्तुत कर सचिव एवं अध्यक्ष दोनों के हस्ताक्षर से आवेदन कर सकेंगी।
8. (अ) पिछले 3 वर्षों के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रदत्त आडिट प्रमाण-पत्र संलग्न करना अपेक्षित है अथवा (आ) वेद, पौरोहित्य, पूजा-अर्चना, मंदिर, पूजा, पुरोहितों को वेद-प्रशिक्षण, शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की योजनाएं संचालित करने में, ज्योतिष, वास्तु के क्षेत्र में तीन अथवा अधिक वर्षों का कार्य अनुभव पर नोटरैस्ड अफिडेविट संलग्न करना होगा।
9. (अ) स्वैच्छिक संगठनों/सोसाइटी/ट्रस्ट के पास स्वयं के पास (स्वयं का अथवा लीस पर) न्यूनतम 2 प्रशिक्षण कक्ष, प्रोजेक्टर अथवा बड़ा एल.ई.डी. टेलिविज़न -1, न्यूनतम-1 यज्ञ शाला कक्ष-यज्ञ कुण्ड सहित हो, पूजा विधान, ज्योतिष, वास्तु आदि वैदिक विद्या संबद्ध 50 पुस्तकें हों, भगवद्गीता, श्रीविष्णु सहस्रनाम, हनुमान चालीसा, श्री वाल्मीकि रामायण, रामचरित मानस, विविध आरती, 20 संस्कृत स्तोत्र पुस्तक हों एवं 50 संस्कृत भाषा प्रशिक्षण पुस्तक हों तथा प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक बेंच के 30-35 प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवास (न्यूनतम 6-8 कमरें), सात्त्विक एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार करने के लिए व्यवस्था एवं अल्पाहार एवं भोजन करने हेतु भोजन हाल (50X50) की व्यवस्था पर्याप्त हो। अथवा (आ) प्रशिक्षण के समय व्याख्यान (लेक्चर) हाल, कक्ष एवं मंदिर आदि में जगह तथा प्रशिक्षण स्थान एवं अध्ययन सामग्री तथा पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु किसी प्रतिष्ठित मंदिर /संगठन का लैटर हेड पर नोटरैस्ड आश्वासन पत्र होना आवश्यक है। प्रतिष्ठित मंदिर /संस्था में व्यवस्था प्राप्त होने पर किसी भी तरह का किराया, व्यय प्रतिपूर्ति आदि प्रतिष्ठान द्वारा नहीं देय होगा।
10. स्वैच्छिक संगठनों/सोसाइटी/ट्रस्ट की ओर से स्वयं के प्रतिविषय सूचीबद्ध योग्य शिक्षित 1-1 प्रशिक्षक हों/ प्रशिक्षक की नहीं होने की स्थिति में प्रतिष्ठान द्वारा कोई प्रशिक्षक दिया जायेगा, जिसका सम्मानजनक मानदेय संस्था एवं प्रशिक्षक के सहमति से निर्णीत होगा। प्रतिष्ठान द्वारा प्रशिक्षकों को आगे का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस शिक्षण हेतु प्रतिष्ठान कार्यालय में बुलाए जाने पर कोई टी.ए./डी.ए. प्रदेय नहीं होगा, जिसमें उनकी उच्चारण में शुद्धता एवं उच्च गुणवत्ता पूर्वक मानक रखकर उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षक रूप में स्वीकृति होगी। उच्च गुणवत्ता धारी प्रशिक्षक नहीं होने पर अलग अलग विषयों में प्रशिक्षण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
11. प्रशिक्षक का मानदेय देने का उत्तरदायित्व स्वैच्छिक संगठनों/सोसाइटी/ट्रस्ट का रहेगा। किसी भी परिस्थिति में प्रतिष्ठान द्वारा कोई भी अनुदान/मानदेय प्रदेय नहीं होगा।
12. स्वैच्छिक संगठनों/सोसाइटी/ट्रस्ट को संबद्धता हेतु एक वर्ष का संबद्धता शुल्क (संबद्धता शुल्क+GST) भरना होगा। एक बार, एक वर्ष से अधिक संबद्धता नहीं दी जायेगी।



13. प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित वेद विद्यालय/अनुदानित सोसाईटी/ अनुदानित ट्रस्ट अथवा अनुदानित वेद गुरु इकाई को इस अधिसूचना के अन्तर्गत मान्यता किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जा सकेगी। यदि अनुदानित पाठशाला/अनुदानित इकाई द्वारा आवेदन कर दिया जाता है, तो प्रतिष्ठान द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी एवं पाठशाला/इकाई पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
14. प्रतिष्ठान द्वारा संस्था को कोई भी अनुदान, किराया, भवन व्यय आदि देय नहीं होगा।/मानदेय देय नहीं होगा।

अनुभवी स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षणीय छात्रों की योग्यता

देश के विभिन्न राज्यों के सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एन.आई.ओ.एस./राज्य शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी सरकारी बोर्ड के स्कूलों/विद्यालयों में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (समकक्ष वेदभूषण-4 उत्तीर्ण/संस्कृत प्रथमा उत्तीर्ण) एवं अध्ययनरत अथवा 9वीं कक्षा में अध्ययनरत 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का अनुभव प्राप्त / 9वीं कक्षा उत्तीर्ण / प्रत्येक क्षेत्र में उस विषय का सामान्य ज्ञान, पठन एवं लेखन ज्ञान सहित क्षेत्र में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव एवं छात्र की आयु 15 वर्ष अथवा अधिक है, वे कौशल विकास एवं उद्यमिता के रोजगारन्मुखी 11 विषयों की संलग्न सूची में से अपनी रुचि अनुसार अधिकतम कोई दो विषयों का चयन कर अनुभवी स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा दिये जानेवाले प्रशिक्षण में निर्दिष्ट शुल्क जमा कर अध्ययन कर सकते हैं।

इस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को वर्तमान में अथवा भविष्य में किसी भी प्रकार का मानदेय, छात्रवृत्ति छात्रों को अथवा संस्था को अनुदान प्रतिष्ठान द्वारा प्रदेय नहीं होगा। छात्रों द्वारा चयनित वैदिक कौशल विकास एवं उद्यमिता विषय की वार्षिक लिखित एवं प्रायोगिक कौशल परीक्षा महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा पाठ्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएगी। प्रत्येक विषय वार्षिक परीक्षा हेतु संबद्ध सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा अलग से प्रत्येक छात्र की परीक्षा (लिखित परीक्षा, प्रायोगिक कौशल परीक्षा) शुल्क (रु.500 के साथ) आनलाईन आवेदन जमा करना होगा, सम्भवतः माह जून-जुलाई 2024 में आयोजित की जाएगी।

संबद्धता हेतु संस्था में सुविधा एवं योग्यता हेतु निरीक्षण किया जायेगा तथा योग्य पाये जानेपर ही संबद्धता, मात्र एक वर्ष के लिए दी जायेगी।

अनुभवी स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट से निवेदन

स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट जो भी इन शर्तों (1 से 14) को स्वीकार कर कौशल विकास एवं उद्यमिता के कुल 11 विषयों में से विषय-सूची एवं पाठ्यक्रम संलग्न अनुसार देश के विभिन्न राज्यों के सी.बी.एस.ई. /आई.सी.एस.ई. /एन.आई.ओ.एस./राज्य शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी बोर्ड के स्कूलों/विद्यालयों छात्रों (प्रत्येक छात्र को अधिकतम उनकी रुचि अनुसार कोई दो विषयों में) को प्रशिक्षण आयोजित करने शैक्षिक एवं मूलभूत सुविधाएं- सामर्थ्य रखते हों वे अनुभवी स्वैच्छिक गठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट दिनांक 21-3-2024 शाम 5.00 बजे तक आवेदन कर सकेंगी।

संस्थाएं अपने अपने व्यवस्था के अनुरूप, गुणवत्ता को ध्यान में रखकर, विविध विषय में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षणार्थियों से प्रवेश शुल्क ले सकेंगी।

कौशल विकास एवं उद्यमिता के कुल 11 विषयों में से अपने रुचि अनुसार कोई दो विषयों के चयन के लिए विषय-सूची एवं पाठ्यक्रम संलग्न हैं।

राष्ट्रीय महत्त्व के इस कार्य में सेवा-भाव, वैदिक आस्था एवं धार्मिक भावना से ही कार्य किए जाना चाहिये, कोई भी विवाद इत्यादि नहीं होना चाहिये। संबद्धता, मान्यता तथा परीक्षा के विषय में प्रभाव डालने हेतु बार बार पत्र लिखवाना, अनुदान देने हेतु पत्र भिजवाना, लिखवाना आदि व्यवहार को प्रतिष्ठान के गतिविधि में बाधा उत्पन्न करना माना जायेगा। योग्यता के आधार पर संबद्धता देना, आवश्यक अनुभव अथवा सुविधा न होने की स्थिति में संबद्धता नहीं देना, आर्थिक शुचिता (अधिक फीस या शुल्क छात्रों से वसूलने की स्थिति में) एवं अन्य कदाचार- गतिविधि में बाधा उत्पन्न करना आदि के कारण संबद्धता निरस्त करना, तथा उस संस्था की संबद्धता निरस्त कर छात्रों के हित में उन छात्रों का अन्यत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षा में सम्मिलित कराना आदि अधिकार

प्रतिष्ठान के सचिव के पास रहेगा। आर्थिक कदाचार/आपराधिक गतिविधि को छोड़कर अन्य किसी भी सामान्य विवाद उत्पन्न होने पर प्रथम अवसर पर 7 दिनों का नोटिस देकर आपसी चर्चा से विवाद सुलझाने का प्रयत्न होगा। किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर ही रहेगा।

ऑनलाइन आवेदन दिनांक: दिनांक 4/03/2024 से दिनांक 21/3/2024 तक प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.msrvvp.ac.in पर भरे जा सकते हैं।

आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क (आवेदन शुल्क +GST) रु. 5,000 + 900/- कुल- रु. 5,900/-

अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना-

परीक्षा दिनांक : सम्भवतः जुलाई, 2024 में आयोजित की जाएगी।

संबद्धता शुल्क- संबद्धता शुल्क (संबद्धता शुल्क+GST) -(बाद में जब भी चयन की सूचना होगी, भरना होगा)

वार्षिक परीक्षा शुल्क : प्रति छात्र राशि रु. 500/- (बाद में जब भी परीक्षा का आवेदन मांगा जायेगा भरना होगा)

प्रोसेसिंग शुल्क एवं वार्षिक परीक्षा शुल्क RTGS/NEFT द्वारा MSRVVP-MSRVSSB (महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान-महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड), केनरा बैंक, चिन्तामण जवासिया, उज्जैन के खाता संख्या:- 110102630290, IFSC कोड:- CNRB0005679 में देय रहेगा।



(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

संलग्न- कौशल विकास एवं उद्यमिता के कुल 11 विषय-सूची एवं पाठ्यक्रम की लिंक।

- प्रतिलिपि: (1) सहायक निदेशक, मसारावेविप्र, उज्जैन
(2) प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं/इकाइयों/रा.आ.वे.वि. में अध्ययनरत छात्रों/अध्यापकों की सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
(3) कार्यालय आदेश पत्रावली।

Link for Skill Development Courses and Syllabus etc.

Sr.No	Qualification Name	Supporting Documents Link
1.	AYURVEDA EVAM VANAUSHADHI - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10008
2.	YOGA PRASHIKSHAN - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10016
3.	VASTUSHAstra - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10020
4.	JYOTISH SHAstra - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10022
5.	TEMPLE MANAGEMENT- KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10024
6.	PUJA VIDHANA / PAUROHITYA	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10025
7.	SHRAUTA YAJNA - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10027
8.	SMARTA YAJNA - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10030
9.	VEDA SHAstra PRAVACHAN KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10032
10.	VEDIC GANIT - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10034
11.	VEDIC SANSKAR - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10035

नोट : (1) किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु NCVET द्वारा मान्य न्यूनतम योग्यता ही मान्य रहेगी । इसी अनुसार संस्थाओं को पाठ्यक्रम / प्रशिक्षण प्रदान करना होगा ।